प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.09.2024

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान व 1,50,000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 13.09.2024 को थाना मोदीनगर पर सचिन कुमार पुत्र सुधीर कुमार निवासी रोरी रोड़ कादराबाद थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद ने एक प्रार्थना-पत्र दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा आवेदक की एल.आई.सी ऑफिस गोविन्दपुरी मोदीनगर स्थित मोबाइल फोन की दुकान से 90 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियो के तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया है। उक्त संबंध में तत्काल थाना मोदीनगर पर सुंसगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26/27.09.2024 की रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग के दौरान मोबाइल की दुकान से चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. वकालत पुत्र स्व0 शराफत निवासी नूरगंज मुरादनगर थाना मुरादनगर, 2. दिनेश पुत्र स्व0 विजयपाल सिंह निवासी ग्राम रामनगर थाना रामनगर जिला अलीगढ़ हाल पता सरस्वती विहार DPS स्कूल के सामने थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद 3. आकाश जाटव पुत्र खेमचन्द निवासी बील अकबरपुर थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर 4. दीपक पाल पुत्र सुन्दरपाल निवासी पाल पीहला ब्रहमपुरी मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद को चोरी की घटना से संबंधित 03 LED TV व 03 मोबाइल फोन, 1,50,000/- रुपये व घटना में प्रयुक्त VERNA कार सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त दिनेश ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 12.09.2024 को मैने अपने साथी वकालत, आकाश जाटव के साथ मिलकर SK टेलीकॉम गोविन्दपुरी मोदीनगर से 90 मोबाइल फोन व अन्य सामान चुराया था तथा उक्त घटना की रैकी इकबाल ने की थी। चुराये गये 87 मोबाइल फोन को हमने आबिद को 4.50 लाख रुपये में बेच दिये थे जिसमें से 2.50 लाख रूपये मिले थे व 02 लाख रुपये बकाया हैं तथा 03 मोबाइल फोन व 03 एलईडी अपने पास रख लिये थे। गोविन्दपुरी मोबाइल की दुकान से फोन चोरी की घटना मे से 01 लाख रुपये व 03 मोबाइल फोन व 03 एल ई डी तथा घटना में प्रयुक्त VERNA कार को आपने हमसे बरामद कर लिया। बाकी रूपये हमने अपने शौक में खर्च कर दिये।

अभियुक्त वकालत, दिनेश, आकाश जाटव उपरोक्त से विश्वास मे लेकर कडाई से पूछने पर यह भी बताया कि हमने साथी दीपक पाल उपरोक्त व राजेश के साथ मिलकर दिनांक 09.07.2024 को जय हाल मोबाइल हब कस्बा रोड मुरादनगर में सन्नी की दुकान से 100 मोबाइल फोन (पुराने व कुछ नये) तथा लगभग 20,000/- रुपये कैश भी चोरी किये थे। मुरादनगर से चोरी किये गये मोबाइल फोन को हम सभी ने 03 लाख रुपये में आबिद को बेच दिये थे तथा मिले रुपयो को हमने अपने शौक में खर्च कर दिया केवल 50,000 हजार रुपये बचे है जो पुलिस ने हमसे बरामद कर लिये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. वकालत पुत्र स्व0 शराफत निवासी नूरगंज मुरादनगर थाना मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।
2. दिनेश पुत्र स्व0 विजयपाल सिंह मूल पता ग्राम रामनगर थाना रामनगर जिला अलीगढ़ हाल पता सरस्वती विहार DPS स्कूल के सामने थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष।
3. आकाश जाटव पुत्र खेमचन्द निवासी बील अकबरपुर थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।
4. दीपक पाल पुत्र सुन्दरपाल निवासी पाल पीहला ब्रहमपुरी मुरादनगर थाना मुरादनगर, गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

वांछित अपराधी –

1.आबिद 2. राजेश अज्ञात

बरामदगी का विवरण-

03 अदद LED LAMEX 80cm

03 मोबाईल फोन it 2165S

1,50,000/- लाख रु0 (01 लाख रुपये मोदीनगर की घटना व 50 हजार रुपये मुरादनगर की घटना)

घटना में प्रयुक्त VERNA

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण वकालत व दिनेश व आकाश जाटव के विरुद्ध 02 अभियोग (01 मोदीनगर व 01 मुरादनगर) व अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध 01 अभियोग थाना मुरादनगर में पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.09.2024 को थाना मोदीनगर पर श्रीमती संगीता पत्नी अजीत सिंह निवासी गली नम्बर 03 विजयनगर मोदीनगर गाजियाबाद ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि खुद के जेठ का लडका 1- आशु पुत्र स्व0 टीटू 2- श्रीमती अशरफी (सास) पत्नी किशनपाल 3- किशनपाल (ससुर) निवासीगण विजयनगर गली नम्बर 03 मोदीनगर गाजियाबाद, हाल निवासी सलारपुर गौतमबुद्धनगर द्वारा आवेदिका संगीता व उसके पति अजीत को ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना तथा जान से मारने की धमकी देना। जिसके संबंध में तत्काल थाना मोदीनगर पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित/ प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. आशु पुत्र स्व0 टीटू निवासी गली नं0 03 विजयनगर गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल पता सलारपुर, 2. पोलूस मसीह पुत्र स्व0 देवपति मसीह निवासी सी- 267 मोदीपोन कालोनी थाना मोदीनगर, 3. पास्टर रासी बलियार सिंह पुत्र किरण चन्द्र बलियार सिंह मूल निवासी ग्राम व पोस्ट सहरंगा जनपद गजापति (उड़ीसा) हाल पता सलारपुर खादर, सैक्टर 101, नोएडा, गौतमबुद्धनगर 4. छट्ठु कुमार शाह पुत्र सरजू शाह मूल निवासी ग्राम जमरोठ थाना दिनारा जिला रोहताश (बिहार) हाल पता सलारपुर नोएडा दादरी रोड़, गौतमबुद्धनगर को उनके मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। जिनको न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण आशु पुत्र स्व0 टीटू उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मेरे पिता जी की मृत्यु के उपरान्त हम लोग सलारपुर गौतमबुद्धनगर मे जाकर रहने लगे तथा हमने वहाँ पर ईसाई धर्म अपना लिया था। मेरी चाची संगीता तथा चाचा अजीत सिंह हमारे पैतृक मकान विजयनगर गोविन्दपुरी मोदीनगर मे ही रहते है। मेरा तथा मेरी दादी अशरफी तथा दादा किशनपाल का अक्सर यहाँ आना – जाना लगा रहता है। हम लोग अपने चाचा अजीत सिंह व चाची संगीता को भी ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहते थे जिसमें मेरे साथी पोलूस , पास्टर रासी बालियार सिंह व छट्ठु कुमार शाह उपरोक्त भी ऐसा करने के लिए सहयोग कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम/पता

1. आशु पुत्र स्व0 टीटू निवासी गली नं0 03 विजयनगर गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल पता सलारपुर, उम्र करीब 19 वर्ष।

2. पोलूस मसीह पुत्र स्व0 देवपति मसीह निवासी सी- 267 मोदीपोन कालोनी थाना मोदीनगर, उम्र करीब 43 वर्ष।

3. पास्टर रासी बलियार सिंह पुत्र किरण चन्द्र बलियार सिंह मूल निवासी ग्राम व पोस्ट सहरंगा जनपद गजापति (उड़ीसा) हाल पता सलारपुर खादर, सैक्टर 101, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 52 वर्ष।

4. छट्ठु कुमार शाह पुत्र सरजू शाह मूल निवासी ग्राम जमरोठ थाना दिनारा जिला रोहताश (बिहार) हाल पता सलारपुर नोएडा दादरी रोड़, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 34 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है व अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद मोबाईल फोन अभियुक्त पोलूस मसीह से बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.08.2023 को थाना लोनी पर वादी राजकुमार पुत्र दीपचन्द निवासी सी 2/1 कोर्ट लाईन सिविल लाईन दिल्ली का एन्टी फ्रॉड सैल से जाँच उपरान्त अभियोग पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ। जिसमे अभियुक्तगण 1.वासुदेव शर्मा 2.मोहम्मद रईस निवासी शांति समिति रोड नंबर 64 नियर डीएलएफ मोड़ नई सीमापुरी दिल्ली 3.वीरेंद्र उर्फ लाला पुत्र नामालूम 4.अमित पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम गढ़ी लोनी गाजियाबाद द्वारा आवेदक की 1400 वर्गगज जमीन को धोखाधड़ी से बेचकर पैसा हड़प लेना व बेची जमीन पर अवैध कब्जा कर लेना व वादी के साथ मारपीट करना, गाली गलौच करना व धमकी देना, जिसके सम्बध मे थाना लोनी पर सुसंगत धाराओ अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात दिनांक 05.08.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहम्मद रईस पुत्र मौ0 वहीद निवासी शांति समिति रोड नंबर 64 नियर डीएलएफ मोड़ नई सीमापुरी दिल्ली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 26.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ लाला पुत्र मवासी निवासी सबलू थाना लोनी गाजियाबाद को चौकी अशोक विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं प्रोपर्टी-डीलिंग का काम करता हूँ। मैं और मेरे साथी मिलकर खाली पड़े मकान/प्लाटों को धोखाधडी से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जबरन कब्जा कर लेते हैं। जिसे बेचकर पैसे कमाते है।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध धोखाधड़ी, कूटकृत दस्तावेज व अवैध कब्जा, गाली गलौच व धमकी देने के सम्बध में 01 अभियोग पंजीकृत है व अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

वीरेन्द्र उर्फ लाला पुत्र मवासी निवासी सबलू थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 55 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे निर्माण करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बरामद।

आज दिनांक 27.09.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र कस्बा से 02 अभियुक्त 1.जितेन्द्र पुत्र वासुदेव निवासी अली गार्डन लोनी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष 2.मनीष पुत्र वासुदेव निवासी अली गार्डन लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को मय 03 प्लास्टिक के बोरे में अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगो ने आगामी त्यौहारों के लिये पटाखों का निर्माण कर भण्डारण कर एकत्रित कर रखा था जिन्हें हम दोनों महंगे दामों मे बेच कर अधिक लाभ कमा सके।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त ----

1.जितेन्द्र पुत्र वासुदेव निवासी अली गार्डन लोनी गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष।

2.मनीष पुत्र वासुदेव निवासी अली गार्डन लोनी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग –---

थाना लोनी पर अभियुक्तों के विरूद्ध अवैध मिश्रित अतिशबाजी पटाखे निर्माण बरामदगी के सम्बध मे 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

03 प्लास्टिक के बोरे में अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम गाजियाबाद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा जयपुरिया मॉल के सामने स्थित घड़ियों के शोरुम "साई क्रिएशन" में घुसकर महंगी घड़ियों की चोरी करने वाले प्रकरण मे वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 घड़ियाँ बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 11.08.2024 को थाना इंदिरापुरम पर वादी श्री श्याम सुंदर गुप्ता निवासी सैक्टर 19 नोएडा के द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि इन्दिरापुरम मे स्थित साई क्रिएशन नामक घडियों के शोरूम से अज्ञात चोरों द्वारा शोरुम मे घुसकर महंगी घड़ियों जिनकी कीमत करीब 03 करोड रुपये को चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना इन्दिरापुरम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुये घटना के अनावरण हेतु टीमे घटित की गयी थी। दिनांक 29.08.2024 को घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त 1.संतोष कुमार जायसवाल पुत्र गौरी प्रसाद निवासी वार्ड न0-01 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार हाल पता किराये का मकान ग्राम छिजारसी सैक्टर 63 नोएडा 2.रोहित कुमार पासवान पुत्र रामेश्वर पासवान निवासी वार्ड न0-01 बीरता चौक के पास कस्बा व थाना घोडासहन जिला मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार हाल पता किराये का मकान कापसहेडा बॉर्डर दिल्ली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मे भेजा जा चुका है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई विभिन्न ब्राण्ड की 125 घड़ियां (जिनकी कुल कीमत लगभग 46,36,048 रू) बरामद हुई थी।

उक्त प्रकरण मे मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27.09.2024 को उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित 02 घड़ियों सहित वांछित अभियुक्त राजा पुत्र सुनील चौधरी निवासी ग्राम व थाना बरगनिया जिला सीतामणी बिहार उम्र 19 वर्ष को कावड़ मार्ग 5/6 की पुलिया ग्रीन बैल्ट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी घडियों में से 02 घडियां बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का साथी बहनोई सचिन नेपाली पुत्र सोनेलाल चौधरी निवासी गांव इनरवारी वसनपट्टी नेपाल मौके से फरार गया जो उक्त चोरी करने वाले अभियुक्तो मे शामिल था। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उसके बहनोई द्वारा चोरी की गयी घडियों को बेचने कि फिराक मे था। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी बताया कि बरामद घड़ियां मेरे बहनोई सचिन नेपाली ने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब डेढ माह पहले जयपुरिया मॉल के सामने स्थित घडी के शोरुम मे चोरी की थी। उसके हिस्से मे आयी घडियों मे से ही यह घडी है जो मेरे पास से बरामद हुई है। कुछ घडियाँ सचिन नेपाली के पास भी है जिन्हे लेकर वह भाग गया है। आज हम लोग चोरी की गयी घड़ियों को बेचने की फिराक में घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

राजा पुत्र सुनील चौधरी निवासी ग्राम व थाना बरगनिया जिला सीतामणी बिहार उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

चोरी की हुई 02 घडियां बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 26.09.2024 को थाना भोजपुर पर वादी मौ0 गुलजार द्वारा तहरीर दी गई कि मेरा पुत्र आस मोहम्मद निवासी त्यौडी 7 बिस्वा के मदरसा मदीननतुल ईलम में अध्यापक के पद पर कार्यरत है जिसे पिछले 07-08 माह से मदरसे से वेतन नहीं मिल रहा था जिसकी शिकायत प्रधानाचार्य मोबीन व उसके भाई आसिफ से की इसी रंजिश को मानते हुये दिनांक 25.09.2024 समय करीब 12.00 बजे के आसपास जब मेरा पुत्र अपने कमरे में सो रहा था तभी मोबीन व आसिफ के कहने पर एक नाबालिग लड़के द्वारा अपने हाथ में लिये धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से गर्दन पर वार कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज दिनांक 27.09.2024 को उक्त घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। अन्य अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।